

रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

नैनीताल

हमारे संवाददाता राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के मार्गदर्शन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में 11 मई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला नैनीताल मुख्यालय में स्थित जिला न्यायालय तथा बाह्य स्थित न्यायालय हल्द्वानी और रामनगर में किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल मामले, बैंक लोन रिकवरी के मामले, बीमा संबंधित, मोटर दुर्घटना संबंधित, पारिवारिक व वैवाहिक विवाद, चैक वाउस के मामले, श्रम संबंधित विवाद, राजस्व संबंधित विवाद, बिजली, पानी संबंधित विवाद, मोटर वाहन एवं शमनीय प्रकृति के सभी अपराधिक मामलों का सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्त्रिमित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।



एक हजार चाल सौ इक्यावन मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किया जा चुका है। लोक अदालत के दिन सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्त्रिमित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

बयुकी मामले पक्षकाण की आपसी सहमति से निस्त्रिमित किये जाते हैं इसीलिए इससे अग्रेतर के दिन सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्त्रिमित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

हल्द्वानी रामनगर सभी न्यायालयों में लगातार जिला प्रशासन, बैंक बीमा, कम्पनीयों, पुलिस एवं अपीलीओं के साथ बैठकें की जा रही हैं। साथ ही जो मामले अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, जैसे कि बैंक लोन रिकवरी मामलों जैसे प्री लाइटिंगेशन

रोडवेज की अनुबंधित बस चालकों का निगम के पास पुख्ता रिकॉर्ड नहीं हल्द्वानी स्टेशन प्रभारी ने पकड़ फर्जी चालक

हल्द्वानी

हमारे संवाददाता रोडवेज की अनुबंधित बसों में यात्री सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि ऐसी बसें चला रहे चालकों का निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, पिछले दिनों दिल्ली से लौट रही बस के रुपरुप में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अनुबंधित बस संचालन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह कानूनोंदाम डिपो के अधीन घर रही है।

स्रोतों के अनुसार अनुबंधित बसों के लगातार हो रहे हालातों के मरम्मेजर हल्द्वानी स्टेशन प्रभारी ने अनुबंधित बस के चालक को जानकारी दी है। पता चाला कि यह चालक को भेजने की जानकारी निगम को दी गई थी, बस में उसके बजाय कोई और ही चालक मिला।

इस पर अल्पान्तर निगम प्रभारी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि चालक को जांच के बाद ही मार्ग पर भेजने की कार्यवाही की जाया। इस मामले से प्रतीत होता है कि रोडवेज अफसरों की अनदेखी व अनुबंधित बस



स्वामियों की मनमर्जी से यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जाएगा। यह बस के बाद रोडवेज कर्मचारी संघोंने ने भी अनुबंधित बसों में एक ही चालक से लगातार हल्द्वानी स्टेशनों लैने की जानकारी दी थी। स्रोतों ने यह भी बताया कि अनुबंधित बसों में जाने वाले चालकों को डिपो में नहीं बुलाया जा रहा है। केवल बस स्वामियों की जानकारी के आधार पर ही चालक रुट पर भेज दिया जाता है।

हाल-फिलहाल में दो अनुबंधित बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने से इनके संचालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्कूटी सवार ने चौकी प्रभारी को कुचलने का किया प्रयास

हल्द्वानी

हमारे संवाददाता तेज गति आ रहे एक स्कूटी सवार ने मंडी चौकी प्रभारी को कुचलने का प्रयास किया। हादर्से में उनका हाथ टूट गया। घटना को अंजाम देने वाला मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

सेमवारी की शाम करीब साढ़े सात बजे चौकी इंचार्ज विजय मेहता बरेली रोड पर अपनी चौकी के बाहर ही कांसेबल के साथ मिलकर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच हल्द्वानी की ओर से एक युवक बैरो हेलमेट के लालकुआं की ओर जा रहा था। जिसे चौकी इंचार्ज ने देख लिया और रोकने की प्रयास किया।

युवक ने रुकने के बजाय संधे चौकी इंचार्ज को कुचलने का दुस्साहस किया और उनके ऊपर ही स्कूटी चढ़ा दी। चौकी इंचार्ज गिरकर चौकल हो गए। साथी जवान उड़े उपचार के लिए सुर्जी बुलाया। भलिक का गरजाकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे। उनका दाहिना हाथ टूट गया है और शरीर में कई जगह गुमचोट आई है।

इधर, घटना के बाद स्कूटी सवार



युवक शनिवाराज की ओर फरार हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी पुटेज की मदद से आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। चौकी इंचार्ज विजय मेहता की ओर से कोतवाली में अज्ञात युवक के विरुद्ध तहरीर सौंप दी गई है। कोतवाल उड़े सुर्जी बुलाया। भलिक का कहना है कि आरोपित पर हत्या के प्रयास संबंध अन्दरांशों में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि जल्द ही स्कूटी सवार पुलिस की गिरफ्त में होगा।

